

परियोजना सलाहकारों की पैनलबद्धता के लिये  
आवेदन आमंत्रित करने हेतु सूचना

1. राष्ट्रीय आवास बैंक ("बैंक") सहायक दस्तावेजों के साथ **अनुलग्नक -I** में संलग्न पात्रता एवं अन्य शर्तों को पूरा करने वाली पात्र भागीदारी फर्मों/कंपनियों (भारत में पंजीकृत) से बैंक के लिए परियोजना सलाहकारों की शॉर्टलिस्टिंग और पैनलबद्धता हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। परियोजना सलाहकारों के लिए निर्देशात्मक कार्य-क्षेत्र **अनुलग्नक -II** के अनुसार होगा।
2. जिन आवेदकों ने पहले ही विज्ञापन सं. – रा.आ.बैंक/पीएफडी/पीसी/01/2021 दिनांकित 15.09.2021 के तहत परियोजना सलाहकारों की पैनलबद्धता के लिए आवेदन किया है, जिसे यहां पुनः विज्ञापित किया गया है, उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता है। यदि भुगतान पिछले विज्ञापन दिनांकित 15.09.2021 के तहत पहले ही किया जा चुका है तो उन्हें फिर से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, पहले भुगतान किए गए शुल्क का विवरण, आवेदन प्रपत्र अर्थात् **अनुलग्नक-III** में प्रदान किया जाना अपेक्षित है।
3. आवेदन में बताए गए सभी सहायक दस्तावेजों के साथ सभी प्रकार से पूर्ण निर्धारित प्रारूप (**अनुलग्नक - III**) में आवेदन नीचे दिए गए पते पर दिनांक 14.12.2021 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 03.01.2022 शाम 05.:00 बजे तक जमा किया जा सकता है:

सुश्री मेघना प्रकाश  
सहायक महाप्रबंधक  
परियोजना वित्त विभाग  
तीसरी मंजिल, राष्ट्रीय आवास बैंक  
भारत पर्यावास केंद्र, कोर 5 ए  
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003  
फोन नं. - (011) 39187182 / 39187324

4. जमा किए जा रहे आवेदन के लिफाफे पर "**परियोजना सलाहकारों की पैनलबद्धता हेतु आवेदन**" लिखा होना चाहिए तथा लिफाफे के पीछे "**FROM ADDRESS**" कॉलम में आवेदक (फर्म/कंपनी) का पता और संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
5. आवेदन, जो विधिवत भरे नहीं हैं और/या जिसमें आवश्यक सहायक दस्तावेजों की कमी है, को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें '**प्राप्त नहीं**' माना जाएगा। उपर्युक्त उल्लिखित कट-ऑफ तिथियों एवं समय के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन को पैनलबद्धता में शामिल करने की प्रक्रिया हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

6. पैलबद्ध परियोजना सलाहकार/सलाहकारों के नाम बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। पैलबद्धता के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाने वाले किसी भी आवेदक को बैंक द्वारा अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी।
7. पैलबद्धता हेतु चयनित परियोजना सलाहकारों की संख्या के आधार पर बैंक अपनी सुविधा के अनुसार जोनल/राज्यवार पैलबद्धता में शामिल होने पर विचार कर सकता है तथा बैंक अपने विवेक से परियोजना की भौगोलिक स्थिति की निकटता के आधार पर परियोजना सलाहकार सेवाएं प्राप्त करने का निर्णय ले सकता है।
8. पैलबद्धता तीन साल की अवधि के लिए वैध होगी, जब तक कि बैंक द्वारा अपने विवेक पर विशेष रूप से असूचीबद्ध नहीं किया जाता है। जबकि सलाहकारों को 03 वर्ष की अवधि हेतु पैलबद्ध किया जा सकता है, पैल की अवधि वर्ष के अंत में या बैंक द्वारा तय किए गए अंतराल पर समीक्षा के अधीन होगी। पैलबद्धता की अवधि समाप्त होने के बाद हर तीन साल में परियोजना सलाहकार को नए सिरे से आवेदन करना होगा।
9. बैंक को यह अधिकार होगा कि वह प्रभावित आवेदकों को बिना किसी देयता का वहन किए किसी भी समय पैलबद्धता प्रक्रिया को रद्द कर सकता है।
10. सरकारी ई-बाजार (जेम) पर उपर्युक्त सेवा श्रेणी उपलब्ध न होने तक पैलबद्ध परियोजना सलाहकारों की सेवाओं का बैंक द्वारा उपयोग किया जा सकता है।
11. पैलबद्धता के लिए इस नोटिस से संबंधित मुद्दों पर आवेदकों की दुविधाओं के स्पष्टीकरण के उद्देश्य से, रा.आ. दिनांक 28.12.2021 को दोपहर 03:00 बजे एक आवेदन-पूर्व बैठक आयोजित करने हेतु इच्छुक है, जो आभासी रूप से (वर्चुअली) आयोजित की जायेगी। आवेदन-पूर्व बैठक की तिथि/समय में किसी प्रकार के परिवर्तन के मामले में इसे बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। सभी आवेदकों के प्रश्न, लिखित रूप में, ई-मेल द्वारा pfd@nhb.org.in पर दिनांक 24.12.2021 शाम 05:00 बजे या उससे पहले तक पहुंच जाने चाहिये। आवेदन-पूर्व बैठक के लिए लिंक ई-मेल के माध्यम से प्रश्नकर्ताओं को साझा किया जायेगा। यह ध्यान दिया जाए कि आवेदन-पूर्व बैठक के बाद किसी भी आवेदक के किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण आवेदन-पूर्व बैठक में ही दिया जाएगा। आवेदन-पूर्व बैठक में केवल आवेदकों के प्रतिनिधियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी।
12. आवेदक बैंक की वेबसाइट Tenders@NHB पर उपलब्ध आवेदन प्रपत्र एवं अन्य प्रारूपों को डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदक को सभी प्रमाणपत्रों के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण/साक्ष्य के समर्थन में प्रासंगिक अनुलग्नकों के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रपत्र जमा करना होगा। सभी संलग्नक अधिकृत भागीदार/निदेशक द्वारा सत्यापित होने चाहिए।
13. . परियोजना सलाहकार के लिये पैलबद्धता हेतु शुल्क निम्नानुसार है:

➤ एमएसई श्रेणी के अंतर्गत आने वाले आवेदनों हेतु - शून्य। पैनलबद्धता के लिए शुल्क से छूट का दावा करने के लिए आवेदन के साथ वैध एमएसई पंजीकरण प्रमाणपत्र (स्व-सत्यापित) संलग्न किया जाना चाहिए।

➤ एमएसई के अलावा अन्य आवेदनों हेतु - 10,000/- रुपये प्लस जीएसटी (मात्र दस हजार रुपये + 18% जीएसटी)

(क) पैनलबद्ध न होने की स्थिति में पैनलबद्धता शुल्क वापस किया जाएगा।

(ख) इस नोटिस में निर्धारित प्रपत्र एवं किसी अन्य प्रकार से पैनलबद्धता शुल्क के बिना प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) शुल्क बैंक के पक्ष में ई-भुगतान के माध्यम से जमा किया जायेगा एवं आवेदन प्रपत्र में विधिवत रूप से प्रेषण का विवरण प्रदान करना होगा।

(घ) खाते का विवरण जिसमें शुल्क जमा किया जाना है, नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी पता	कोर 5ए, चौथी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक
4	लाभार्थी बैंक शाखा का पता	स्कोप कॉम्प्लेक्स शाखा, नई दिल्ली
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं.	52142903844
7	बैंक शाखा का आईएफसीएस कोड	SBIN0020511

(ड.) गैर-पैनलबद्ध होने के मामले में रिफंड प्राप्त करने हेतु आवेदक को रद्द किए गए चेक के साथ **अनुलग्नक – III (ग)** के अनुसार जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी।

14. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र में दिए जा रहे ई-मेल आईडी, फोन नंबर और मोबाइल नंबर सही है।

### अस्वीकरण:

उन आवेदकों हेतु जिनके आवेदन स्वीकार किए गये हैं उनके प्रति बैंक संविदात्मक रूप से या किसी अन्य प्रकार से कटिबद्ध नहीं है। बैंक को पैनलबद्धता प्रक्रिया के किसी भी भाग या चरणों के साथ आगे कार्य करने के लिए इस प्रकार के अनुरोध को स्वीकार करने पर प्रतिबद्ध या अन्यथा बाध्य नहीं करता है। बैंक एवं उसके निदेशक/अधिकारी/कर्मियों/ठेकेदार/एजेंट तथा सलाहकार किसी भी नुकसान या क्षति, इस जानकारी का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा होने वाले व्यय या उसकी लागत लागत एवं इसमें निहित किसी जानकारी में कोई त्रुटि, चूक या गलत बयानी या किसी भी जानकारी के कारण किसी व्यक्ति को होने वाली हानि के लिये सभी देयताओं को अस्वीकार कर

सकता है। यदि कम से कम 3 पात्र आवेदकों को पैनलबद्ध करने हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो पैनलबद्ध करने की प्रक्रिया स्वतः रद्द हो जाएगी।

अनुलग्नक -I और अनुलग्नक -II के लिए बैंक की अंग्रेजी वेबसाइट [www.nhb.in/en/](http://www.nhb.in/en/) पर जाएं:

किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

--XX--